फर्द अहकाम

मालसिंह बनाम गोपाल व अन्य

म न्यायालय

केस संख्या 29/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10/7/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 5/9/23 को पेश हो।	
	5/9/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/10/23 को पेश हो।	
	18/10/23	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैंस/कार्य स्थागित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 30/11/23 को पेश हो।	
	30/11/23	व० वादी स्वयं बहस सुनी पत्रावली व रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:08:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–29 / 2017
उनवान– मालसिंह बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनांक– 30.11.2023

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कोर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–29 / 2017

उनवान

मालसिंह चौहान पुत्र श्री निरंजनसिंह चौहान जाति चौहान राजपूत, निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. गोपाल पुत्र भैरुलाल
2. गोरा देवी पत्नि रुपनारायण
3. मालीराम पुत्र रुपनारायण
4. हणमान पुत्र रुपनारायण
5. सन्तोषी पुत्री रुपनारायण
6. रामचन्द्र पुत्र सुरजमल
7. नानग पुत्र सुरजमल
8. श्रवण पुत्र सुरजमल
9. नानूराम पुत्र नारायण
10. श्योनारायण पुत्र नारायण
    समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. उप पंजियक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अ0 धारा 53 व 188 रा0का0 अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :–30.11.2023

वकील वादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20.10.2021 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1137 कुल रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम देवथला, पटवार हल्का निवाणा, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आंशिक भाग में पक्का निर्माण यथा दुकाने बनी हुई है उक्त भूमि कृषि भूमि के उपयोग में नही आ रही है। ऐसे में उक्त भूमि का तकासमा नही किया जा सकता है। अतः वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा [illegible] हो। यह निर्णय आज दिनांक 30/11/23....... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:08:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
फा0ट्रै0 (मुख्यालय)चौमूँ

सहायक कलेक्टर (फा0 ट्रै0) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–29/2017
उनवान– मालसिंह बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनांक– 30.11.2023

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–28/2017

उनवान

मालसिंह चौहान पुत्र श्री निरंजनसिंह चौहान जाति चौहान राजपूत, निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. गोपाल पुत्र भैरुलाल
2. गोरा देवी पत्नि रुपनारायण
3. मालीराम पुत्र रुपनारायण
4. हणमान पुत्र रुपनारायण
5. सन्तोषी पुत्री रुपनारायण
6. रामचन्द्र पुत्र सुरजमल
7. नानग पुत्र सुरजमल
8. श्रवण पुत्र सुरजमल
9. नानूराम पुत्र नारायण
10. श्योनारायण पुत्र नारायण
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. उप पंजियक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1137 कुल रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम देवथला, पटवार हल्का निवाणा, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आंशिक भाग में पक्का निर्माण यथा दुकाने बनी हुई है उक्त भूमि कृषि भूमि के उपयोग में नही आ रही है। ऐसे में उक्त भूमि का तकासमा नही किया जा सकता है। अतः वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत .... खर्चा .... रकम का सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाब तक .... को अदा करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:08:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–29/2017
उनवान– मालसिंह बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनांक– 30.11.2023

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 30/11/23 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत
ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:08:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner